RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 08/2025

प्रार्थी–

1. श्री घेवाराम पुत्र जोगाराम जाति भील, निवासी इन्द्रा कॉलोनी पाटोदी, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री ग्राम पंचायत पाटोदी जरिए संरपच ग्राम पंचायत पाटोदी, जिला बालोतरा।
2. श्री शेरदीन पुत्र नुरखां जाति मुसलमान निवासी पाटोदी, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रूघाराम कड़वासरा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करणसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :16.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 के विरूद्ध दिनांक 07.04.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा पाटोदी में पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 500 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 20 फीट थोब–पाटोदी मैन रोड़, बदिशा दक्षिण 20 फीट व रास्ता, पूर्व में 25 फीट व अन्य खाली भूमि तथा पश्चिम में 25 फीट व रमजानशाह/शाकिनशाह का मकान आया हुआ है। उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि निगरानी में उल्लेखित ग्राम सभा में संकल्प संख्या 2 में पारित आदेश को चुनौती नहीं देकर केवल मात्र पटटा संख्या 45 को निरस्त करने हेतु हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है, चूंकि पटटा सं. 45 जो कि उप पंजीयक कार्यालय पाटोदी मे दिनांक 30.10.2024 को पंजिबद्ध किया गया, जो उक्त आलोच्य पट्टा पंजिकृत पटटा है। हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटा दस्तावेज़ एक पंजिकृत पटटा दस्तावेज है, जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरीक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में पंचायतो के आदेशो की अपीलो के सबंध में स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित किये गये है कि पंचायत के किसी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निदेश की अपील अधिकारित रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जबकि प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील सबंधित पंचायत समिति में नहीं की है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस में यह कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आलोच्य पटटा जारी किया गया है वह आलोच्य पटटा नियम 157 (1) में जारी किया गया है जो कि विधिनुसार ग्राम में स्थायी निवास करने वालों को ही जारी किया जा सकता है, जबकि वास्तव में अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पाटोदी का निवासी न होकर ग्राम रिछोली का निवासी है तथा ग्राम पाटोदी में उसका कभी भी रहवास नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 का राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज ग्राम रिछोली के बने हुए है, इतना ही नहीं ग्राम रिछोली की निर्वाचन नामावली में भी अप्रार्थी संख्या 02 का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर अपने पक्ष में आलोच्य पटटा जारी किया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने के आलोच्य भूखण्ड पर पूर्व में भी लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर में शिकायत व आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। जिसकी जांच तहसीलदार पचपदरा द्वारा की गई तथा जिसमें मौजा पाटोदी के खसरा नंबर 4129/3751, किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर श्री शेरदीन पुत्र श्री नूरखां का अतिक्रमण होना बताया गया व विवादित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है तथा मौके पर उपलब्ध मलबे को राजकीय हक में जब्त किया जाकर ग्राम पंचायत पाटोदी को सुपुर्द किया गया, होना बताया गया, की रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा द्वारा श्रीमान उप सचिव लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को भेजी गयी। साथ ही दिनांक 28.05.2024 को एक लिखित रिपोर्ट शिकायत श्रीमान जिला कलक्टर, बालोतरा के समक्ष उक्त विवादित स्थल पर अतिक्रमण करने बाबत शिकायत दर्ज की गयी, जिस पर कार्यालय पंचायत समिति पाटोदी के पत्रांक पसपा/राज संपर्क शिकायत/2024 दिनांक 13.06.2024 में मौजा पाटोदी के खसरा संख्या 4129/3751 किस्म गैर मूमकिन रास्ता है। उक्त रास्ते की भूमि पर ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा बोर्ड लगाकर विवरण अंकित कर दिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करे, होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.03.2022 को खसरा संख्या 4129/3751 में एक भूखण्ड मांगूखां/हकीमखा तेली निवासी पाटोदी से बैचाननामा खरीदा। उक्त आलोच्य भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, लेकिन इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मौजा पाटोदी के निवासी होने के संबंध में किसी भी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 45 के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कब्जा व निवास नहीं रहा

जिला कलक्टर
बालोतरा

है। आलोच्य पट्टा खाली भूखण्ड का जारी किया गया है, जबकि विधिनुसार नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों का विनियमतितिकरण करने का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम में है। उक्त भूखण्ड में पूर्व में पट्टा संख्या 49 दिनांक 20.06.2022, पट्टा संख्या 48 दिनांक 20.06.2022, पट्टा संख्या 47 दिनांक 20.06.2022 खसरा संख्या 4870/4100 में जारी किया गया है, जबकि खसरा नंबर 4847/4100 रकबा 2 विस्वा भूमि ही है। रकबे से ज्यादा पट्टे जारी नहीं किया जा सकते है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बिना कब्जे ही पटटा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा संख्या 4129/3751 पर कब्जा करने की नाजायज कोशिश की गयी थी। उक्त खसरा गैरमुमकिन रास्ता है। मगर उक्त तथ्य छिपाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष अपना कब्जा बताकर खसरा संख्या 4870/4100 में अपना कब्जा बताकर पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया। वास्तविक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था एवं आवेदन खसरा संख्या 4870/4100 में पेश किया गया है, जबकि कब्जा खसरा नंबर 4129/3751 पर किया था, जो गैर मुमकिन रास्ता पाटोदी की भूमि थी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 पाटोदी का स्थायी निवासी नहीं है, न ही उसका कोई रहवास है तथा न ही किसी भी स्थान पर उसका कब्जा ही रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष गलत तथ्य बताते हुए आवेदन पत्र पेश किया गया था और उसी आधार पर पटटा संख्या 45 प्राप्त किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जो उक्त पट्टे को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

6. अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि यह हैं कि विधिनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है एवं तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा 25 रूपये नक्शा फीस, 25 रूपये मौका निरीक्षण फीस, पंचायत के कोष कार्यालय में जमा करवायी जाती है तत्पश्चात ही उक्त प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय में दर्ज कर मिसल कायम की जाती है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पंचायत द्वारा कोई मिसल (पत्रावली) ग्राम पंचायत में दर्ज की गई और न ही पटटे पर मिसल संख्या अंकित है तथा बिना आवेदन पत्र (मिसल) प्रस्तुत किये तथा नक्शा फीस एवं मौका निरीक्षण फीस जमा करवाये बिना ही सीधे ही आलोच्य पटटा जारी कर दिया गया है। उक्त आलोच्य पटटा पत्रावली प्रस्तुत होने तत्पश्चात मौका निरीक्षण फीस जमा होने के उपरांत नियम 146 के तहत पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पटटा जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का मौका निरीक्षण, वार्ड पंचों की कमेठी द्वारा नहीं किया गया है। अगर वास्तव में वादग्रस्त स्थल (पटटा स्थल) का मौका निरीक्षण किया जाता तो यह अवश्य ही तथ्य साबित हो जाता कि वादग्रस्त स्थल पर अप्रार्थी संख्या 2 का रहवास न होकर खाली भूखण्ड विद्यमान है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न तो मौका कमेटी का गठन किया गया और न ही उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण ही किया गया है। उक्त पटटा पत्रावली में मौका निरीक्षण के पश्चात नियम 148 के तहत पटटा स्थल के संबंध में आपत्तियां मंगवाई जाती है तथा आंपत्ति नोटिस वादग्रस्त स्थल एवं पंचायत के बोर्ड पर दो साक्षियों के रूबरू चस्पा किया जाता है. परन्तु हस्तगत प्रकरण में आपत्ति नोटिस के संबंध में कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 ग्राम पंचायत पाटोदी को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

जिला कलक्टर
बालोतरा

7. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रखता है। धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम मे राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही आवेदन किये जाने के सबंध में स्पष्ट उल्लेख दिये गये है, किन्तु प्रार्थी न ही हस्तगत प्रकरण मे उल्लेखित पटटासुद भूखण्ड का हितबद्ध पक्षकार है, न ही प्रार्थी का कोई हक अधिकार उक्त भूखण्ड पर कभी रहा। प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी पटटा कमांक 45 दिनांक 05.08.2024 जो कि उप पंजीयक कार्यालय पाटोदी मे दिनांक 30.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 64 मे पृष्ठ सं. 29, कम संख्या 202403142101240 पर पटटा पंजिबद्ध किया गया, उक्त निगरानी में उल्लेखित ग्राम सभा में पारित संकल्प संख्या 2 मे पारित आदेश को चूनौति नहीं देकर केवल मात्र पटटा सं. 45 को निरस्त करने हेतु हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है, चूंकि पटटा सं. 45 पंजिकृत पटटा है एवं यह दस्तावेज केवल उक्त संकल्प की साक्ष्य देने वाला पंजिकृत दस्तावेज है। हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटा दस्तावेज एक पंजिकृत पटटा दस्तावेज है जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरीक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में पंचायतो के आदेशो की अपीलो के सबंध में स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित किये गये है कि पंचायत के किसी आदेश या निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की अपील अधिकारित रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जबकि प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील सबंधित पंचायत समिति में नहीं की है। प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित करते हुए राजनैतिक दबाव मे उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जबकि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कभी भी प्रार्थी सं. 1 के साथ कोई मिलीभगत नहीं की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त पटटे के सबंध में सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए एवं पंचो द्वारा जांच करते हुए यह पटटा जारी किया गया जो बाद में ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा जारी पटटा कमांक 45 दिनांक 05.08.2024 जो कि उप पंजीयक कार्यालय पाटोदी में दिनांक 30.10.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 64 में पृष्ठ सं. 29, कम संख्या 202403142101240 पर पटटा पंजिबद्ध किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त पटटासुद भूखण्ड मे आवासीय मकान बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 का रहवास ग्राम पाटोदी मे रहा एवं है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा नियम 148 में उल्लेखित प्रारूप 22 अनुसार आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सबंध में आक्षेप आमन्त्रित करने के बावजुद भी प्रार्थी अथवा अन्य किसी ग्रामवासी द्वारा आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रर्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में यह पटटा विधि अनुसार जारी किया गया। इसके अलावा न्यायिक दृष्टांत Gopal Patel v/s State of Rajasthan CW 9438/2018 राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 02.02.2021, Satya pal Anand v/s State of MP & Ors- Civil Appeal No- 6673/2014 माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 26.10.2016 2017(1) RRT 139 तथा Manohar la v/s District collector Barmer & ors- DB Civil special Appeal (w) No- 1958 of 2011 राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 28.01.2013 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के विभिन्न न्याय निर्णयों मे प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार जिला कलेक्टर को किसी भी पंजिबद्ध पटटा विलेख के सबंध में निगरानी, ऐसे दस्तावेज को रदद करने हेतु कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी कार्यवाही केवल मात्र

जिला कलक्टर
बालोतरा

सिविल न्यायालय में ही की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के सम्पुर्ण नियमों के प्रावधानों की पालना करते हुए उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 45 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा समयावधि व क्षेत्राधिकार बाधित होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

8. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा मिसल संख्या 45/2024–25 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 05.08.2024 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 45 दिनांक 05.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.04.2025 को ग्राम पंचायत पाटोदी की ओर से जारी आलौच्य पट्टा पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 45 मौजा पाटोदी के गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर जारी किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत पाटोदी से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 शेरदीन द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में खरीदसुदा होना बताया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 शेरदीन पुत्र नुरखा के पक्ष में पंचायतीराज नियम 157(1) के तहत जारी होना पाया गया है तथा पत्रावली के संलग्न प्रार्थी का आधार कार्ड मौजा रिछोली का निवासी होना बताया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे में वर्णित शर्त संख्या 1 अनुसार पट्टा जारी करने वाले आंवटी का उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से अधिक पुराने आवासीय घर पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अपने खरीदसुदा भूमि होना बताया गया गया तथा अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 को जारी करते समय *"पंचायती राज नियम 157(1) के तहत 50 वर्ष से अधिक पूर्व निर्मित मकानों हेतु 100/- या 200/- रू की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने उपरांत पट्टा जारी किया किया जा सकेगा"* की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप व पड़ौस अंकित होना नहीं पाया गया तथा आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहॉ पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 *"निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी"*, की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। साथ ही आलोच्य मूल पट्टा पर खसरा संख्या रिक्त होना पाया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त आलोच्य पट्टा कौनसे खसरे में जारी किया गया ? तथा बयान फार्म में बयानकर्ता की उम्र अंकित नहीं होना, बयान कब किया गया की दिनांक भी

जिला कलक्टर
बालोतरा

अंकित नहीं होना पाया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल कम्प्युटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 शेरदीन द्वारा एक लिखित पत्र में लिखकर दिया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड मैंने अनजान में खरीदा था एवं मुझे उक्त भूखण्ड सरकारी जमीन होने के बारे में जानकारी नहीं थी। जब मूझे जानकारी हुई तब उक्त भूखण्ड से मैने कब्जा हटा दिया गया और आगे सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से उक्त आलोच्य पट्टा गैर मुमकिन रास्ते पर जारी किया जाना होना बताया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 में पंचायतो के आदेशो की अपील पंचायत समिति के समक्ष 30 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा, जबकि प्रार्थी ने उक्त आदेश के विरूद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए कभी भी कोई अपील सबंधित पंचायत समिति में पेश नहीं की है तथा हस्तगत निगरानी में उल्लेखित पटटा एक पंजिकृत दस्तावेज है, जिसे श्री न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा किसी भी प्रकार से पुनरिक्षण एवं निरस्त नहीं किया जा सकता है, क्योकि उक्त दस्तावेज पंजिबद्ध होने से इसके सबंध में उत्पन्न सभी विवादो का निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय का है। इस संबंध में शासन सचिव पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.4/10/परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी का कथन न्यायसंगत नहीं है एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर को निर्धारित है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 45 दिनांक 05.08.2024 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा